राजस्थान सरकार
वित्त (मार्गोपाय) विभाग

क्रमांकः प.12(3)वि.मा./2017 जयपुर, दिनांक : 11 जनवरी, 2018

परिपत्र

विषय :– महालेखाकार एवं स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में स्थानीय निकायों, स्वायत्तशासी संस्थाओं और राजकीय कम्पनियों आदि द्वारा निधियों के जमा एवं निवेश के आक्षेपों के क्रम में।

महालेखाकार एवं स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में यह आक्षेप लिया जा रहा है कि राजकीय बोर्ड एवं निगमों, स्थानीय निकायों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, पंचायती राज संस्थाओं आदि द्वारा अपनी निधियों का विनियोजन निजी निक्षेप खातों के स्थान पर बैंकों, वित्तीय संस्थाओं एवं डाक घरों आदि में किया जा रहा है, जो कि न केवल राज्य सरकार के निर्देशों की अवहेलना है, अपितु इससे राज्य की मार्गोपाय स्थिति पर विपरीत प्रभाव भी पड़ता है।

वित्त (मार्गोपाय) विभाग के आदेश क्रमांक प.12(3)वि.मा./89 दिनांक 15.02.1995 के अनुसार निर्देशित किया गया था, कि समस्त अर्द्धशासकीय संस्थाओं, यथा नगरपालिकाओं, नगर विकास न्यासों, पंचायत समितियों, मण्डी समितियों, जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों, जिला परिषदों, स्वायत्तशासी संस्थानों आदि द्वारा अपनी अधिशेष निधियाँ राज्य सरकार के कोष/उपकोष में ब्याज अर्जित करने वाले निक्षेप के रूप में रखी जाएगी तथा नित्य प्रति के उपयोग के लिए अपेक्षित निधियों कोष/उपकोष के निजी निक्षेप (बिना ब्याज) खाते में रखी जाएगी।

अतः महालेखाकार एवं स्थानीय निधि अंकेक्षण प्रतिवेदनों में उल्लेखित आक्षेपों को दृष्टिगत रखते हुए समस्त स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं, स्वायत्तशासी संस्थाओं, राजकीय कम्पनियों आदि के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों से अपेक्षित है कि अधिशेष राशियां वित्त (मार्गोपाय) विभाग के आदेश दिनांक 15.02.1995 के अनुसार निजी निक्षेप खातों में विनियोजित किए जाने हेतु सभी संबंधितों को निर्देश प्रदान किए जावें। साथ ही इन संस्थानों में पदस्थापित राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारी उक्त निर्देशों की पालना तथा विनियोजन की सूचना आगामी माह की 10 तारीख तक वित्त (मार्गोपाय) विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

(डी.बी.गुप्ता)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन सचिवालय के समस्त विभाग एवं अनुभाग।
2. समस्त संबंधित संस्थायें।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर सहित।
4. समस्त स्वायतशासी संस्थाओं, निगमों एवं बोर्डो आदि में पदस्थापित राजस्थान लेखा सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी।

(शरद मेहरा)
निदेशक, वित्त (बजट)